अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1284(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 180(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नेशनल एसोशिएशन फार ब्लाइंड(मेहसाणा जिला शाखा) साऊथ कमर्शियल सेन्टर, निकट थ्री गेट, विसनगर-384315, जिला मेहसाणा(एन0जी0) गुजरात,द्वारा जिला मेहसाणा, गुजरात के सभी तालुको के नेत्रहीनों के पुनर्वास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 16 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल,1999 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0216(अ0) द्वारा आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के चार वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ङ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल एसोशिएशन फार ब्लाइंड(मेहसाणा जिला शाखा) साऊथ कमर्शियल सेन्टर, निकट थ्री गेट, विसनगर-384315, जिला मेहसाणा(एन0जी0) गुजरात,द्वारा जिला मेहसाणा, गुजरात के सभी तालुकों के नेत्रहीनों के पुनर्वास की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पैंतालीस लाख, इकानवे हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 376/2002/फा. सं. एन सी-113/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)